

## अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1227

प्रश्न सं. [ क. 1227 ]

आवेदनकर्ता का नाम एवं पता	शैक्षणिक योग्यता	कार्य क्षेत्र का अनुभव
श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत, (आई.एफ.एस.)	B.E.(Civil), M.Tech., Master of Forestry, PhD (Course work)	(1) PCCF/Managing Director, M.P. State Minor Forest Produce 01.09.2020 to till date (5 Months) (ii) Chief Executive Officer, GoMP Ecotourism Development Board-2 Year 2 Months) (iii) Director (Technical), State Mission Director - National Urban Livelihood Mission (NLUM), Director-National Institute of Governance & Urban Management (NIGUM), Director- Reforms, State Coordinator-MP Smart City Mission, Director, City Manager Association (CMA), Directorate M.P. Urban Administration & Development-(2 Year 4 Months) (iv) Addl. PCCF/Chief Conservator of Forest (Compensatory of A forestation), Director Agriculture, Director-Fisheries, Director - Health - Narmada Valley Development Authority - (2 Year 6 Months) (v) Chief Conservator of Forest Bhopal Circle- (3 Year 5 Months) (vi) Director Van Vihar National Park, Bhopal -(1 Year 9 Months) (vii) Field Director, Satpuda Tiger Reserve Hoshangabad - (3 Year 2 Months) (viii) Conservator of Forest, Working Plan, Ujjain-GoMP, Department of Forest-(1 Year 8 Months) (ix) Chief Executive Officer - Jila Parishad Sidhi & Shajapur, Director Education & Additional Commissioner (Tribal) Department of Panchayati Raj & Rural Development, GoMP-(4 Year 5 Months) (x) Divisional Forest Officer, Tikamgarh, Khargone, Badhwah Division, GoMP, Department of Forest -(8 Year 6 Months)

परिशिष्ट-2क


सू- संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016

Qualifications  
of  
Chairperson  
and Members  
of Authority.

22. The Chairperson and other Members of the Authority shall be appointed by the appropriate Government on the recommendations of a Selection Committee consisting of the Chief Justice of the High Court or his nominee, the Secretary of the Department dealing with Housing and the Law Secretary, in such manner as may be prescribed, from amongst persons having adequate knowledge of and professional experience of at-least twenty years in case of the Chairperson and fifteen years in the case of the Members in urban development, housing, real estate development, infrastructure, economics, technical experts from relevant fields, planning, law, commerce, accountancy, industry, management, social service, public affairs or administration:

Provided that a person who is, or has been, in the service of the State Government shall not be appointed as a Chairperson unless such person has held the post of Additional Secretary to the Central Government or any equivalent post in the Central Government or State Government:

Provided further that a person who is, or has been, in the service of the State Government shall not be appointed as a member unless such person has held the post of Secretary to the State Government or any equivalent post in the State Government or Central Government.

  
(एस. के. विश्वकर्मा)  
अवर सचिव (सामान्य प्रशासन)  
सू-संपदा विनियामक प्राधिकरण भोपाल

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय

पाराशष्ट. 02

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 5/3/2021

क्रमांक-एफ-3-100/32/2010 :: राज्य शासन एतद् द्वारा भू-संपदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ भोपाल (म0प्र0) को मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करती है।

2/ श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, का सदस्य के रूप में कार्यकाल भू-संपदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा 23 (1) में विहित अनुसार, 5 वर्ष की अवधि के लिये अथवा उनके द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगा। उन्हें सदस्य के रूप में पुर्ननियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

3/ श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत का सदस्य के रूप में देश, मत्ते एवं अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें, म0प्र0 रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम 2017 के नियम-20 के अनुसार रहेगें।

A.O. / Est.

L

दिलीप कापसे  
सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
श. प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
भोपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(डॉ० शुभाशीष बैनर्जी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

06 MAR 2021

क्रमांक-एफ-3-100/32/2010

भोपाल, दिनांक 5/3/2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म0प्र0 शासन, भोपाल,
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0 शासन, भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल,
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल,
6. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय, प्रधानपीठ जबलपुर,
7. अध्यक्ष, म0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल (म0प्र0)
8. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास/चयन समिति सचिवालय, म0प्र0 भोपाल,  
महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, लेखा भवन, झॉंसी रोड, ग्वालियर, म0प्र0,
10. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचना को आगामी अंक में प्रकाशित करने बाबत।
11. निज सचिव, मान0 मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल,
12. स्टाफ ऑफ़ीसर, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
13. श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ भोपाल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(डॉ० शुभाशीष बैनर्जी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

(एस. के. विश्वकर्मा)

अपर सचिव (सामान्य प्रशासन)

मध्य प्रदेश शासन विनियामक प्राधिकरण भोपाल